न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जयप्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 21/2010/रेफरेन्स

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर

प्रार्थी

बनाम

1. मालाराम पुत्र गोरूराम जाति हरिजन निवासी हसामपुर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम 1956

वकील अप्रार्थी श्री बजरंगसिंह

निर्णय **दिनांकः–18.12.2019**

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जाटवास की भूमि ख. नं. 67/3 रकबा 0.004 वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में श्री मालाराम पुत्र श्री गोरूराम जाति हरिजन निवासी हसांमपुर के खातेदारी में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी वर्ष 2020 में राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकीन नदी नाला तालाब जोहड़ा की राज्य सरकार के नाम से दर्ज थी। नियमन/आवंटन के जरिये उपरोक्त खसरा नम्बर 67 में से श्री गोरीया पुत्र श्री डालू निवासी हसामपुर के नाम से आवंटन नियमन होकर गैर खातेदारी/खातेदारी श्री गोरीया पुत्र श्री डालू निवासी हसामपुर के नाम से दर्ज है। यह भूमि गलत रूप से आवंटन/नियमन परामर्श दात्री समिति द्वारा दिनांक 23.11.69 को गलत रूप से नियमों के विपरीत आवंटन/नियमन किया गया था। उपरोक्त भूमि राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में वर्णित है। जिसका आवंटन नियमन से खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। उपरोक्त भूमि नियमन आवंटन के पश्चात आवंटी की विरासत मे या विकय के पश्चात चालू जमाबन्दी में श्री मालाराम पुत्र श्री गोरूराम जाति हरिजन निवासी हसामपुर के नाम से खातेदारी दर्ज है। अतः उपरोक्त भूमि खातेदार के नाम दर्ज खातेदारी में से हटाकर राज्य सरकार के पक्ष में वापिस दर्ज किया जाना न्याय संगत है।

रेफरेन्स आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी को जारी नोटिस अदम तामिल प्राप्त हुआ। इसके पश्चात् प्रार्थी श्योपाल पुत्र मालीराम जाति हरिजन निवासी हसामपुर की और से जरिये अधिवक्ता श्री बजरंगसिंह ने दिनांक 22.08.2008 को आवेदन पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी मालाराम का 5 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो चुका है। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा उक्त प्रकरण मृत व्यक्ति के विरूद्व पेश किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। विचाराधीन रेफरेन्स आवेदन तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा दिनांक 01.10.2007 को न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया है, जबकि प्रार्थी श्योपाल द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 22.08.2008 के मुताबिक अप्रार्थी मालाराम का स्वर्गवास 5 वर्ष पूर्व होना अंकित किया हुआ है। अतः प्रार्थी श्योपाल की और से वकील श्री बजरंगसिंह द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर अप्रार्थी मालाराम की मृत्यु रेफरेन्स आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व होने के कारण मृत व्यक्ति के

विरूद्व किसी प्रकार का निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः रेफरेन्स आवेदन खारिज किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अप्रार्थी मालाराम की मृत्यु के सम्बंध में जांच कर मृतक के विधिक वारिसान को पक्षकार संयाजित करते हुए पुनः रेफरेन्स आवेदन पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयप्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर
अति॰ जिला कलक्टर, सीकर